राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 69 / प्रा0पत्र / 2022 दायरा दिनांक :—26.04.2022

GCMS ID-2022 / 205

1. सुगन्ता पुत्री लादु पत्नी महावीर जाति धोबी निवासी सोरण हाल निवासी वार्ड नम्बर 7 मैन रोड दहीखेडा तहसील खानपुर जिला झालावाड राज0।

प्रार्थीया

बनाम

1. चन्द्रकला पुत्री लादू जाति धोबी निवासी सोरण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. ममता पुत्री लादू जाति धोबी निवासी सोरण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. रामरचना पुत्री लादू जाति धोबी निवासी सोरण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. फुला बाई पत्नी लादू जाति धोबी निवासी सोरण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. धनराज आ0 लादू जाति धोबी निवासी सोरण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. भंवरलाल आ0 लादू जाति धोबी निवासी सोरण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
7. रमेश आ0 लादू जाति धोबी निवासी सोरण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
8. शंकरलाल आ0 लादू जाति धोबी निवासी सोरण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
9. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :— श्री महेश नामा
वकील अप्रार्थी :— श्री दिनेश शर्मा

निर्णय

दिनांक :— 29 / 08 / 2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 22 खसरा संख्या 506 रकबा 2.1934 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 2. 1934 हैक्टेयर वाके ग्राम हरमाली का खेडा पटवार मण्डल सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत है, जो प्रार्थीया की सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीया के पिता लादू जी के शुगना नाम की कोई पुत्री नहीं है, प्रार्थीया का नाम सुगन्ता है, लेकिन घर में प्रार्थीया को शुगना के नाम से भी जानते थे। इसी कारण पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीया के पिताजी की मृत्यु के बाद राजस्व रिकॉर्ड में सुगन्ता के स्थान पर शुगना का इन्द्राज कर दिया उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेजात भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, बैक पासबुक्स, राशन कार्ड आदि सहकारी दस्तावेजता में प्रार्थीया का नाम सुगन्ता पुत्री लादू दर्ज है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थीया का शुगना दर्ज कर दिया जिसकी वजह से प्रार्थीया अपना उपरोक्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रही है। प्रार्थीया का नाम सुगन्ता है और पहचाने के सभी दस्तावेजात में सुगन्ता ही नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर शुगना के स्थान पर सुगन्ता दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थीया ने पटवारी साहब व तहसीलदार साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 15.03.2022 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में दर्ज शुगना पुत्री लादू के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सुगन्ता पुत्री लादू दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सुगन्ता सही नाम दर्ज करवावे। वादग्रस्त भूमि के अन्य खातेदारान के विरूद्ध प्रार्थीया द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाह गया है लादू जी के समस्त वारिसान का ही हित प्रभावित होने से लादू जी के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है एवं राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होने से अप्रार्थी संख्या 9 तहसीलदार हिण्डोली को पक्षकार बनाया गया है। भूमि ग्राम हरमाली का खेडा पटवार मण्डल सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 22 खसरा संख्या 506 रकबा 2.1934 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 2.1934 हैक्टेयर वाके ग्राम हरमाली का खेडा पटवार मण्डल सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज धन्नी शुगना पुत्री लादू के इन्द्राज को दुरूस्त कर सुगन्ता पुत्री लादू दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार कर प्रार्थीया का नाम सुगना के स्थान पर सुगन्ता दर्ज किया जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 9 नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :– राजस्व/25/817 दिनांक :–26.05.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम हरमाली का खेडा के खाता संख्या 22 में प्रार्थीया का नाम सुगना पुत्री लादू दर्ज रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों/सहखातेदारान को उक्त खाता नम्बर में दर्ज सुगना पुत्री लादू व सुगन्ता पुत्री लादू एक ही महिला के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज सुगना पुत्री लादू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

के स्थान पर प्रार्थीया का सही नाम सुगन्ता पुत्री लादू दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीया का उक्त नाम विरासत के इंतकाल से दर्ज हुआ है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का सही नाम सुगन्ता पुत्री लादू है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, भारत निर्बाचन आयोग पहचान पत्र, बैंक खाता डायरी, पेश किए है जिसमें प्रार्थीया का नाम सुगन्ता पुत्री लादू दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम हरमाली का खेडा पटवार मण्डल सोरण के खाता संख्या 22 में दर्ज सहखातेदार सुगना पुत्री लादू के स्थान प्रार्थीया का सही नाम सुगन्ता पुत्री लादू शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 29.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

29/08/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली